उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–7
संख्याः 879 / XX–7 / 2020–01(67)2016
देहरादून, दिनांक 25 सितम्बर, 2020

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्याः 1, वर्ष 2008) की धारा 87 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस सेवा नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड घुड़सवार पुलिस सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 8 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस सेवा नियमावली, 2018 जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के उपनियम (2)के खण्ड (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) आयु का निर्धारणः घुडसवार पुलिस के उपनिरीक्षक की पंक्ति पर पदोन्नति के लिए भर्ती के वर्ष की पहली जनवरी को आयु अधिकतम 45 वर्ष से अधिक न हो	**(2) आयु का निर्धारणः** घुडसवार पुलिस के उपनिरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिए भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को आयु अधिकतम 45 वर्ष से अधिक न हो। **(2)(क) सेवा अभिलेखः** विगत 05 वर्षो का सेवा अभिलेख सन्तोषजनक हो, अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो। यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो ऐसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की

अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि अभ्यर्थी की अपील /विभागीय कार्यवाही परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारत न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका परीक्षा परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। विगत 05 वर्ष से पूर्व के 05 वर्ष के प्रत्येक वर्ष के प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

नियम 9.क, 9.ख का अंतस्थापन

3. मूल नियमावली में नियम 9 के पश्चात् नियम 9.क, 9.ख, निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिये जायेंगें, अर्थात्:—

9.क पदोन्नति लेने से इंकार

पदोन्नति से इंकार करने वाले ऐसे कार्मिकों के संबंध में उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के प्राविधान तथा समय—समय पर तत्सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के प्राविधान लागू किए जायेगें।

9.ख बन्द लिफाफे की कार्यवाही

ऐसे कार्मिक जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही/जॉच लम्बित हो अथवा अभियोग पंजीकृत हो अथवा किसी प्रकार की अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, को भी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति/रैंकर परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रक्रिया के मध्य ऐसे कार्मिक की अपील निरस्त/ अस्वीकृत हो जाती है, तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा। अपील/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अंतिम निर्णय होने के पश्चात् ही निर्णय के सादृश्य संबंधित कार्मिक का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।

नियम—17 का विलोपन

4. मूल नियमावली के नियम—17 को विलोपित कर दिया जायेगा,

परिशिष्ट—2 का संशोधन

5. मूल नियमावली के परिशिष्ट—2 में क्रम संख्या ग(4)(5) को विलोपित कर दिया जायेगा,

परिशिष्ट—3 का संशोधन

6. मूल नियमावली के परिशिष्ट—3 में क्रम संख्या नियम ग(4)(5) को विलोपित कर दिया जायेगा,

आज्ञा से,
(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्याः 579 (1)/XX—7—2020—01(67)2016, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. कार्यालय महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की 50 प्रतियां प्रकाशित कराते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार की विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विजय कुमार)
उप सचिव।